नारीवादी दृष्टिकोण
[FEMINIST PERSPECTIVES]

सभी मनुष्यों के जन्म से समान होने पर भी पुरुष एवं महिलाओं की स्थिति में भेद किया जाता रहा है। यह समस्या किसी एक देश की नहीं है अपितु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे एक साझी समस्या के रूप में स्वीकारा गया है। नारीवादी आंदोलन महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु चलाया जाने वाला आंदोलन है। नारीवाद महिलाओं के अधिकारों का पक्षधर है तथा इस तथ्य पर आधारित है कि महिलाओं को समाज में सदैव से पुरुषों की तुलना में निम्न स्थिति प्रदान की जाती रही है, फिर चाहे यह परिवार के अंदर हो, समाज में हो, समुदाय में हो या राज्य स्तर पर हो।

अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवादी दृष्टिकोण
(FEMINIST APPROACH IN INTERNATIONAL RELATIONS)

नारीवादी आंदोलन का आरंभ शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात विशेष रूप से देखने को मिला। इससे पूर्व विभिन्न राष्ट्रों के अंदर महिला अधिकारों को लेकर आवाज उठाई जाती रही थी, किंतु शनैः-शनैः देखने में आया कि प्रत्येक राष्ट्र में ही लैंगिक भेदभाव की स्थिति बनी हुई थी। अतः अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों को महत्व दिया जाना आरंभ हुआ और इसकी व्यवहारिक कार्यान्विति उस समय देखने को मिली जबकि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत भी महिला अधिकारों को महत्व देते हुए लैंगिक असमानता को दूर करने की बात कही गई। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत इससे संबंधित प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं–

चार्टर की प्रस्तावना के अंतर्गत मानव के मौलिक अधिकारों, व्यक्तिगत गौरव एवं महत्व तथा पुरुषों एवं महिलाओं के समान अधिकारों में विश्वास व्यक्त किया गया है।

अनुच्छेद 1के अनुसार, "मानव अधिकारों के प्रति सम्मान को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए तथा जाति, लिंग, भाषा या धर्म किसी भी आधार पर बिना किसी भेदभाव मौलिक अधिकारों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।"

अनुच्छेद 13 में उल्लिखित है, "जाति, लिंग, भाषा या धर्म के भेदभाव के बिना मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं की प्राप्ति में सहायता दी जाएगी।"

यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में नारीवादी अध्ययन का आरंभ 1991 के बाद आरंभ हुआ, किंतु अन्य विषयों में इस क्षेत्र में शोध कार्य पहले ही आरंभ हो चुके थे। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति एवं अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों की भी विषय-वस्तु बन जाने के बाद नारीवादी अध्ययन के साथ-साथ नारीवादी आंदोलन में भी तीव्रता आई। नारीवादी आंदोलन की कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

(1) यह आंदोलन महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार एवं स्वतंत्रता दिलाने की वकालत करता है।

(2) आंदोलन के समर्थकों की मान्यतानुसार महिलाओं के साथ भेदभाव की समस्या का मूल कारण पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना का होना है। इस व्यवस्था में परिवारों के अंदर पुरुषों का वर्चस्व होता है तथा बालिकाओं एवं महिलाओं को उन्हीं के नियंत्रण एवं आधिपत्य में रहना होता है। महिलाओं की अपनी इच्छा का कोई महत्व नहीं रह जाता है तथा उनकी स्वतंत्रता एवं अधिकारों पर भी बहुत से प्रतिबंध लगाए जाते हैं।

(3) लैंगिक भेदभाव (Gender based discrimination) कोई जैविक या शारीरिक संरचना से संबंधित समस्या न होकर यह एक सामाजिक समस्या है।

(4) नारीवादी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस मानसिकता में परिवर्तन लाना है कि पुरुषों का अधिकार-संपन्नता, स्वतंत्रता तथा विवेकशीलता पर जन्मजात अधिकार होता है तथा महिलाओं में शक्ति-संपन्नता एवं विवेकशीलता पुरुषों की अपेक्षा कम होती है। नारीवाद के समर्थक इस तथ्य का खंडन करते हैं।

(5) नारीवादी आंदोलन परिवार, समाज, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिलाना चाहता है। इसके साथ ही यह आंदोलन महिलाओं को पुरुषों के ही समान प्रत्येक क्षेत्र में समान अवसर दिलाने का पक्षधर है।

(6) महिलाओं के प्रति होने वाले सभी प्रकार के भेदभाव, अन्याय तथा शोषण को समाप्त करना।

नारीवादी आंदोलन चलाए जाने के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिशा में और भी प्रयास किए जाते रहे हैं। उदाहरण के लिए 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (Universal Declaration on Human Rights) की, जिसमें महिलाओं एवं पुरुषों के समान अधिकारों के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए–

(1) अनुच्छेद 2 में वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्ति बिना जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति अथवा सामाजिक उत्पत्ति, जन्म अथवा अन्य किसी भेदभाव के इस घोषणा में व्यक्त किए हुए सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का पात्र होगा।

(2) अनुच्छेद 3 के अनुसार जीवन, स्वाधीनता तथा सुरक्षा का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान रूप से सुनिश्चित किया गया है।

(3) अनुच्छेद 7 के अनुसार कानून के समक्ष सभी समान हैं।

(4) अनुच्छेद 16 के अनुसार प्रत्येक वयस्क पुरुष एवं स्त्री को जाति, राष्ट्रीयता अथवा धर्म की सीमा के बिना विवाह करने का अधिकार प्राप्त है तथा दोनों की पूर्ण स्वतंत्रता एवं स्वीकृति से ही विवाह संपन्न होगा।

(5) अनुच्छेद 23(2) के अनुसार समान कार्य के लिए महिलाओं एवं पुरुषों दोनों को समान वेतन दिया जाना चाहिए।

(6) अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह स्त्री है या पुरुष, को समान रूप से शिक्षा प्राप्ति का अधिकार है।

नारीवादी दृष्टिकोण के तहत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की स्थिति में सुधार के उद्देश्य से प्रस्थिति आयोग कार्यरत है। यह आयोग विश्व में महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक सभी क्षेत्रों में समानता की स्थिति की जाँच करता है तथा आवश्यक सिफारिशें प्रस्तुत करता है।

महिलाओं के मानवाधिकारों, उनके सभी क्षेत्रों में सबलीकरण तथा समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास निधि भी कार्यरत है। दिसंबर 1966 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर एक अन्तर्राष्ट्रीय संविदा (International Covenant on Civil and Political Rights) जारी की, जिसमें महिलाओं को पुरुषों के समान ही सिविल एवं राजनीतिक अधिकार दिलाने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही महिलाओं के उत्थान तथा विकास के प्रति उनमें चेतना जागृत करने के लिए महासभा ने 1975 को 'अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष' के रूप में घोषित किया। इसके साथ ही 'विश्व कार्य योजना' बनाई गई तथा 1975 से 1985 को 'महिला दशक' घोषित किया गया। इस अवधि के लिए जिन उद्देश्यों को निर्धारित किया गया, उनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं–

(1) महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा दिलाना।

(2) महिलाओं के साथ किए जाने वाले जन्मजात, जातिगत, धर्मगत तथा राष्ट्रगत भेदभाव की समाप्ति हेतु सार्थक प्रयास करना।

(3) महिलाओं को द्वितीय दर्जे का नागरिक नहीं, अपितु समान नागरिक समझना।

(4) समाज एवं देश के निर्माण में तथा विश्व शांति की स्थापना में महिलाओं की अधिकाधिक साझेदारी सुनिश्चित करना।

तदुपरांत 18 दिसंबर, 1979 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा महिला अधिकारों पर एक संविदा की घोषणा की गई, जिस पर विश्व के अधिकांश राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए। इस प्रसंविदा के प्रावधान सभी राष्ट्रों के